राजस्व अपील संख्या 186/2025 अनवान नरेन्द्र पुत्र रामनारायण बनाम श्री वर्द्धमान जैन शिक्षण संघ ओसियां व अन्य

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस

राजस्व अपील सं. 186/2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.नरेन्द्र पुत्र रामनारायण व अन्य सभी जातियान माहेश्वरी, निवासी ओसियां जिला जोधपुर।		1. श्री वर्द्धमान जैन शिक्षण संघ ओसिया जरिये अध्यक्ष श्री वर्द्धमान जैन शिक्षण संघं, ओसियां जिला जोधपुर। 2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भु.अ.) ओसिया, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 बविरूद्ध तहसीलदार ओसिया (भू.अ.) जिला जोधपुर द्वारा ग्राम ओसियां के खसरा संख्या 1563/14 एवं पडौसी खसरान का सीमांकन करने हेतु पांच सदस्य राजस्व टीम का गठन कर सीमांकन हेतु जारी आदेश दिनांक 01.04.2025 के विरूद्ध पेश की गई।

उपस्थिति	1.प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर दवे उपस्थित 2.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता सत्यनारायण राजपुरोहित उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 29/7/25

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 के तहत तहसीलदार ओसियां के सीमांकन ओदश 01.04.2025 के विरूद्ध पेश की है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि गांव ओसिया के खसरा संख्या 1563/10 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा जो की पूर्व में कृषि भूमि थी तथा रामनारायण जी द्वारा उक्त भुमि को खरीद के पश्चात कृषि भूमि से आबादी भूमि में परिवर्तीत करवाने हेतु तहसीलदार ओसिया के समक्ष आवेदन किया एवं दिनांक 16 07.1992 को उक्त खसरा संख्या 1563/10 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि को आबादी भुमि में परिवर्तीत किये जाने के आदेश पारित किये। रामनारायण जी द्वारा उक्त भुमि जरिये दो भिन्न भिन्न विक्रय पत्रो के जरिये श्री चम्पालाल से खरीद की थी तथा चम्पालाल सोनी द्वारा खसरा संख्या 1563 रकबा 12 बिघा भुमि ठाकुर खेत सिंह पुत्र ठाकुर कल्याण सिंह साकिन ओसिया से दिनांक 16.12.1968 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये खरीद की गई थी तथा चम्पालाल सोनी से रामनारायण महाजन ने उक्त खसरा

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

संख्या 1563 रकबा 12 बिघा में से 6 बिघा भुमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के दिनांक 03.02.1969 को खरीद की थी उसके पडोस व हदुद बेचान नामे में अंकित किये गये थे जो निम्न प्रकार है:—

पुर्व में	वर्द्धमान जैन विधालय व मन्दिर को जाने वाली सडक
पश्चिम में	राव छरीयो की थडी
उत्तर में	सेवग हरनारायण बख्शीराम की काश्त की भुमि
दक्षिण में	खुद बेचानकर्ता की 6 बिघा की आराजी

यह है कि रामनारायण जी द्वारा चम्पालाल सोनी से ही खसरा संख्या 1563 रकबा 12 बीघा का शेष हिस्सा 6 बीघा दिनांक 03.06.1971 को खरीद की थी तथा विकय पत्र में उक्त 6 बिघा भूमि के पडौस निम्न है:—

पुर्व में	जैन मन्दिर की सडक तथा बेरा चोचा
पश्चिम में	भीलो के खेत
दक्षिण में	भाटी तगत सिंह का खेत
उत्तर में	खरीदार की शेष 6 बिघा भूमि

उपरोक्त वर्णित बेचान नामो से स्पष्टतया रामनारायण जी की भुमि कुल 12 बीघा जैन स्कुल जाने वाली सड़क पर ही स्थित है तथा उसमें से 9 बिघा 10 बिस्वा भुमि का परिवर्तन कर आबादी भुमि में दर्ज है।

यह है कि प्रत्यर्थी संस्थान ने भी खसरा संख्या 1563 रकबा 59 बिघा 3 बिस्वा भुमि ठाकुर तगत सिंह जी से दिनांक 17.06.1983 को खरीद की थी तथा खरीद की गई भूमि के पडौस बेचान नामें में वर्णित किये गये थे जो निम्न है:—

पुर्व में	वर्द्धमान जैन विधालय, मोहनलाल व कान जी सोनी की भुमि
पश्चिम में	चावडो की ढाणी, खेडा व भीलो की ढाणी
दक्षिण में	मोहनलाल सोनी व कान जी सोनी की भुमि
उत्तर में	श्री जवाहर सिंह व राम सिंह की जमीन

जैन वर्द्धमान संघ द्वारा उक्त खसरान की 59 बिघा 3 बिस्वा उपरोक्त वर्णित पडोस की ही खरीद की थी तथा कब्जा भी उसी अनुरूप उसी समय प्राप्त कर लिया था। उक्त बेचान नामा निष्पादित होने के लगभग 2 वर्ष पश्चात यानि 12.02.1985 को उक्त कृषि भुमि का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था तथा उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर तरमीम का नक्शा गलत व गैर कानुनी रूप से बनाया गया था जिसमें जैन संस्थान के पदाधिकारीयो ने राजस्व अधिकारीयो व कर्मचारीयो से मिलावट कर उक्त नक्शे में कांट छांट कर खसरा संख्या 1563/10 रामनारायण की भुमि को हथियाने की नियत से लाल स्याही से कांट छांट कर उसकी भुमि को जैन संस्थान की भुमि बताने का असफल प्रयास सन 1995 में

अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

किया गया है तथा उसी अनुरूप् कारगुजारी करते हुए जैन संस्थान द्वारा रामनारायण की भुमि मे अवैध कब्जा करने की कुचेष्ठा करते हुए नींव खोदनी शुरू की तो रामनारायण जी द्वारा सिविल वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा ओसिया न्यायालय मे विरूद्ध जैन संस्थान प्रस्तुत किया गया तथा उक्त दिवानी मुल वाद 30/1996 रामनारायण बनाम वर्द्धमान शिक्षण संघ सिविल न्यायालय क.ख ओसिया, जोधपुर जिला द्वारा 20.03.2014 को रामनारायण जी के पक्ष में डिक्री करते हुए प्रतिवादी जैन शिक्षण संस्थान को यह आदेश दिया कि वादी रामनारायण के खसरा संख्या 1563/10 रकबा 9 बिघा 10 बिस्वा में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे तथा उक्त भुमि मे निर्मीत की गई दिवारो को जैन संस्थान अपने स्वयं के खर्चे पर तुडवाए एवं उनके द्वारा नही तोडने पर वादी रामनारायण स्वयं प्रतिवादी संस्थान के खर्चे पर तुडवाए। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.2014 के विरूद्ध जैन संस्थान द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जो अपर जिला न्यायालय जोधपुर जिला में सी ए डी 17/2014 जैन संस्थान बनाम रामनारायण के कायम मुकाम लंबित है। अपीलार्थी जैन संस्थान के पक्ष में कोई स्थगन आदेश भी नही है तथा प्रकरण अत्यन्त पुराना होने से बहस अंतिम हेतु मुकर्रर है। खसरा संख्या 1563 के खातेदार तगत सिंह जी द्वारा अपने सम्पुर्ण कृषि भूमि 124 बिघा 3 बिस्वा में से सवा पांच बिघा भूमि का बेचान मोहन लाल सोनी को दिनांक 06.08.1971 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये किया गया था तथा उक्त बेचान की गई भूमि के पडोस निम्न प्रकार दर्शाये गयेः

पुर्व में	जैन मन्दिर जाने वाली सडक
पश्चिम में	राजपुत भाटी तगत सिंह का खेत
दक्षिण में	भोमिया जी का स्थान
उत्तर मे	माहेश्वरी सोनी चम्पालाल का खेत

उपरोक्त बेचान नामो जिसमें चम्पालाल तथा मोहन लाल सोनी के विक्रय पत्रों में वर्णित पडौस से यह तथ्य भली भांती स्पष्ट हो रहा है कि मोहन लाल व चम्पालाल सोनी की खरीदसुदा भुमि के बीच अन्य किसी व्यक्ति की कोई भुमि नही आई हुई है तथा दोनो सटमा पडौसी है तथा जैन संस्थान की खरीदसुदा भुमि 59 बिघा 3 बिस्वा भुमि मोहनलाल सोनी एवं रामनारायण जी की भुमि के पश्चिम दिशा मे स्थित है तथा उनके बेचाननामें मे भी पुर्व दिशा की तरफ उक्त दोनो के ही पडौस अंकित है तथा किसी भी स्थिती में जैन संस्थान की भुमि पुर्व दिशा की तरफ जैन मन्दिर जाने वाली सड़क पर नही हो सकती है उसके भी बावजुद जैन संस्थान के पदाधिकारी अपीलार्थी की भुमि को हडप करने की नियत से जानबुझकर गलत आवेदन सीमांकन बाबत प्रस्तुत कर राजस्व सीमांकन टीम

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर